न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 142 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/153)
पंजीयन दिनांक– 04.03.2021
निर्णय दिनांक– 27.09.2021

1. श्री बाबरूलाल पिता उदयलाल ब्राह्मण, निवासी निमोदडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री बगदीराम पिता लालू चमार, निवासी निमोदडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती रूपी पुत्री लालू चमार, पत्नि कन्ना मेघवाल, मृतक के बजायः–

1. **श्री हीरालाल पिता कन्ना मेघवाल, निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।**
2. **श्री नक्षत्रमल पिता कन्ना मेघवाल, निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।**
3. **श्री छगनलाल पिता कन्ना मेघवाल, निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।**
4. **श्री चम्पालाल पिता कन्ना मेघवाल, निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।**

4. श्रीमती उदी पुत्री लालू चमार, पत्नि बाबरू मेघवाल, निवासी निमोदडा, तहसील डूंगला, हाल मुकाम सालेडा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

5. श्रीमती काली पुत्री लालू चमार, पत्नि नानालाल मेघवाल, निवासी निमोदडा, तहसील डूंगला, हाल मुकाम पालोद, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश बारबर	–	अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद दाणी	–	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 3/1 से 3/4, 4 व 5
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	–	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 02/2014 (राजस्व प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक 21.07.2015

निर्णय

दिनांक 27.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 02/2014 निर्णय दिनांक 21.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 18.08.2015 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय, आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम निमोदडा में आराजी नम्बर 209 रकबा 8

बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। इसके पडौस पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रामा गमेती को आवंटन शुदा भूमि, उत्तर में आराजी नम्बर 208 रास्ता व उसके बाद प्रार्थी की दिगर आराजीयात व दक्षिण में नाला है। इन चारों पडौसों के बीच की भूमि पर कब्जा प्रार्थी बाबरू का अपने पिता के जमाने से चला आ रहा है और आज भी प्रार्थी का कब्जा है। यह भूमि लालू पिता गोदड चमार, निवासी निमोदडा को सन् 1978 में आवंटित की गई जिसका नामांतरकरण संख्या 168 दिनांक 10.09.1980 को प्रमाणित हुआ। इस कृषि भूमि पर लालू पिता गोदड चमार का एक दिन भी कब्जा नही रहा। लालू पिता गोदड चमार की मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस उसका पुत्र बगदीराम है। उक्त आवंटित भूमि पर लालू चमार का कोई कब्जा नही रहा, फिर भी गलत तरीके से उसे आवंटित कर दी गई, जिसे निरस्त कराने का प्रार्थी अधिकारी है। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने प्रकरण संख्या 02/2014 (राजस्व प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक 21.07.2015 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.07.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः– *"हमने विपक्षी की बहस पर मनन किया व प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी निगराकार ने प्रार्थना पत्र के साथ भू–आवंटन आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई, मात्र प्रार्थना पत्र में मिसल नम्बर 10/1978 का उल्लेख किया। किस दिनांक को भूमि का आवंटन हुआ नहीं दर्शाया गया। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने का कथन करते हुए आवंटन निरस्त कराने का अनुरोध किया। ग्राम निमोदडा की आराजी नम्बर 209 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा स्थित होना प्रकट किया उस पर विपक्षी का कब्जा नहीं है। वकील विपक्षी ने प्रस्तुत जवाब में आवंटित भूमि गैर निगराकार के पिता को 37 वर्ष पूर्व आवंटन हुई तब से लगातार कब्जा होकर काश्त की जा रही है तथा वर्तमान में विपक्षी खातेदार है। 37 वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ, जिस पर*

काश्त की जा रही है। उक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या आधार पर प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विपक्षी को मिसल संख्या 10/1978 से किया गया भूमि आवंटन यथावत रखा जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बारबर उपस्थित तथा रेस्पोडेंट्स संख्या 1, 3/1 से 3/4, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद दाणी उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय, डूंगला में बगदीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में बबरूलाल का कब्जा नही माना तथा उसका मूल वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा राजस्व कर्मचारी द्वारा मौके की रिपोर्ट बनायी गई जिसके तहत उन्होंने जैसा देखा उसी प्रकार से मौके की स्थिति का अभिकथन किया व कहा कि प्रार्थी बगदीया का कब्जा पश्चिम दिशा में होकर आराजी नम्बर 893/209 दर्ज रेकार्ड है जिसका रकबा 7 बीघा है तथा मौके अनुसार बगदीराम पिता लालू मेघवाल का कब्जा काश्त पश्चिम दिशा में है इसके बाद पूर्व की और तोलीराम पिता पूरा मीणा, निवासी सुरेडा काबिज है, तोलीराम के बाद पूर्व दिशा में भूमि खाली पडी हुई है तथा बगदीराम का कब्जा रामा के पश्चिम दिशा में होना पाया गया। तोलीराम का रिकार्ड अनुसार रकबा 0.76 हैक्टेयर है तथा नजरी नक्शा बनाया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने बगदीराम की आराजी में बाबरूलाल वगेराह का कोई कब्जा नही

माना, अर्थात बगदीराम को एक तरफ ही जमीन आंवटित हुई थी उसे दोनो तरफ जमीन आवंटन नही हुई। बगदीराम के पिता को वर्ष 1980 में जो भूमि आवंटित हुई थी उसके आराजी नम्बर 209/1 होकर रकबा 8 बीघा 5 विस्वा भूमि आवंटित हुई थी तथा मौके पर कब्जा भी एक तरफ ही दिया था एवं नक्शे में उक्त आराजी संख्या 209/1 तरमीम कर कब्जा सिपुर्द किया था उस समय असल नक्शा ट्रेस में रामा को पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 209/1 पर अंकित कर लालू पिता गोदड मेघवाल को कब्जा सिपुर्द किया था मौके पर रामा पिता चुना के दोनो तरफ आराजी संख्या 209/1 अंकित नही किये गये जिससे रामा पिता चुना के आराजी संख्या 891/209 है जिसके दोनो तरफ नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 209/1 दर्ज नही है, 891/209 के पूर्व में जमीन खाली पडी हुई है। तहसीलदार, डूंगला के आदेशानुसार राजस्व कर्मचारियों ने मौके पर जाकर दिनांक 05.02.2016 को कमीश्नर रिपोर्ट बनाई जिसमें भी बाबरूलाल का बगदीराम की आराजी पर कोई कब्जा होना नही बताया है व रामा की आराजी संख्या 891/209 रकबा 0.76 हैक्टेयर यानि 3 बीघा भूमि आवंटित होकर काबिज है के पश्चिम दिशा में बगदीराम की आराजी संख्या 209/1 परिवर्तित आराजी संख्या 893/209 रकबा 1.77 हैक्टेयर यानि 7 बीघा भूमि स्थित होकर काबिज काश्त कर रहा है बगदीया को आवंटित आराजी संख्या 209/1 रकबा 2.02 हैक्टेयर 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा भूमि विक्रय कर दी थी, जो वर्तमान में कंवरीबाई पत्नि नानूराम सालवी के नाम दर्ज रेकार्ड है परंतु नक्शे में तरमीम नही हुई जिसके वर्तमान नम्बर आराजी संख्या 895/209 रकबा 0.25 हैक्टेयर यानि 1 बीघा भूमि है जिसे बगदीया की कब्जे शुदा आराजी यानि रामा के पश्चिम दिशा में स्थित आराजी में ही तरमीम कराना चाहिए था जो तरमीम नही कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय में बगदीराम का 1 मूलवाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञाा तथा 136 भू–राजस्व अधिनियम तीनों प्रकरण एक साथ चल रहे थे जब

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कमीश्नर रिपोर्ट पटवारी हल्का किशनकरेरी द्वारा मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाया व बगदीराम की आराजी रामा की आराजी संख्या 891/209 के पश्चिम दिशा में होना बताया तथा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में तहसीलदार, डूंगला से जवाब तलब किया, जिस पर पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिपोर्ट तहसील में बैठे बैठे बनाई गयी व बगदीराम के पिता को आवंटित हुई जमीन रामा के दोनो तरफ होना बताया है जबकि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 05.02.2016 को कमीश्नर रिपोर्ट में रामा की आराजी के पश्चिम दिशा में बगदीराम की आराजी संख्या 893/209 रकबा 1.77 हैक्टेयर यानि 7 बीघा जमीन स्थित होकर बगदीराम काबिज काश्त कर रहा है बताया है जिससे दोनो ही तथ्य विसंगत है बेमेल है, जो तथ्य मौके पर जाकर देखे गये वो ही प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2016 के कमीश्नर रिपोर्ट में बताया है वह तथ्य सही है बगदीराम का रामा की आराजी संख्या 891/209 के पूर्व में खाली जमीन पडी हुई तथा बगदीराम की आराजी में से विक्रित आराजी रकबा 1 बीघा जिसके आराजी संख्या 895/209 होकर नक्शे में तरमीम नही है सर्व प्रथम उसे रामा के पश्चिम आराजी संख्या 209/1 रकबा 2.02 हैक्टेयर में ही तरमीम किया जाना चाहिए था, जो नही कराया गया। बगदीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 में बाबरूलाल एवं उसके भाईयों को पक्षकार नही बनाया तथा आराजी संख्या 209 जिसके हाल नये नम्बर 891/209 आराजी संख्या 895/209 एवं 893/209 के हितधारियों एवं हित प्रभावित को पक्षकार नही बनाया एवं एक पक्षीय प्रार्थना पत्र सुनकर न्यायालय द्वारा एक तरफा आदेश जारी कर दिया, जो गलत है। कानूनी रूप से नियमों के अंतर्गत दो जगह एक ही नम्बर डाला जाना संभव नहीं है धारा 136 का क्षेत्राधिकार बहुत सिमित है उक्त धारा के अंतर्गत केवल लिपिकीय त्रुटि जिसको पक्षकार त्रुटि होना स्वीकार करे उसे सुधारा जा सकता है। अतः

उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किय गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 3/1 से 3/4, 4 व 5 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम निमोदडा की आराजी नम्बर 209 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट बगदीराम चमार के पिता लालू पिता गोदड चमार को दिनांक 06.12.1978 को जरिये मिसल नम्बर 10/1978 को उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा किया गया। जिसका कब्जा पटवार हल्का, रावतपुरा द्वारा दिनांक 16.12.1978 को अलोटी श्री लालू चमार जो रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री बगदीराम का पिता है, को दिया गया। वक्त उपस्थित अपीलांट बाबरूलाल के पिता उदयलाल ब्राह्मण व अन्य मौतबिरान के समय दिया गया है। तब से आज तक कब्जा काश्त श्री लालू चमार के जीते जी उनका था एवं उसके बाद उसके वारिस बगदीराम वगैरा का चला आ रहा है, जिसको 37 वर्ष हो चुके है। अपीलांट ने गलत पडौस लिखे है। अपीलांट बाबरू ब्राह्मण का कब्जा न तो आवंटन से पूर्व था और ना ही आवंटन के बाद ही कभी कब्जा रहा है। प्रार्थी ने जलेशी व लालच वश 37 वर्ष बाद झुठी अपील पेश की है। रेस्पोडेंट को भूमि अलोटमेंट के बाद नामांतरकरण संख्या 168 दिनांक 10.09.1980 से गैर खातेदारी में दर्ज हुई एवं खातेदारी का इंतकाल संख्या 284 दिनांक 08.01.1998 से खोला गया। अपीलांट ने आवंटी लालू पिता गोदड चमार के सभी वारिस बगदीया, रूपी, उदी, काली पिता लालू है जिसमें से सिर्फ बगदीया को ही पक्षकार बनाया है, नई जमाबंदी पेश नही की है। वर्तमान में आराजी नम्बर 893/209 है जिसका अंकन नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट को खातेदारी मिलने के बाद नियम 14(4) में कार्यवाही नही चल सकती है। इस आधार पर अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 21.07.2015 से पारित निर्णय नियमानुसार

होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विपक्षी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 3 से 5 के पूर्वज लालू पिता गोदड़ चमार को विवादित आराजी का आवंटन वर्ष 1978 में किया गया जिसका नामान्तकरण 10.09.1980 को स्वीकृत हुआ जिसे निरस्त करवाने के लिए अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन आवंटन वर्ष 1978 के 36 वर्ष बाद वर्ष 1974 में इस आधार पर पेश किया कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है तथा भूमि लालू पिता गोदड़ को गलत आधारों पर आवंटित कर दी गयी है तथा वह आवंटन शर्तों की भी पालना नहीं करता। उसने आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के उक्त आपत्तियों के आधार पर आवंटन निरस्त करने के आवेदन को अपने निर्णय दिनांक 21.07.2015 से अपास्त कर दिया तथा रेस्पोंडेण्ट के पूर्वज लालू को किये गये आवंटन को बहाल रखा।

प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि विवादित आवंटित आराजीयात को रेस्पोंडेण्ट को खातेदारी भी प्राप्त हो चुकी है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से रूष्ठ होकर जो अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, उसमें भी जो आधार लिये हैं वे प्रमुखतः यह है कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट अपने पिता के जमाने से काबिज है तथा विवादित भूमि पर रेस्पोंडेण्ट आवंटी का कब्जा नहीं है तथा वे आवंटन के पात्र भी नहीं था, उसे भूमि का आवंटन भी गलत तरीके से कर दिया गया। दौराने बहस उभय पक्ष द्वारा दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये तथा अपीलाण्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जिसमें विवादित आवंटित भूमि की अवस्थिति को लेकर अपने कथन किये गये।

प्रकरण में हम यह पाते हैं कि विवादित आराजी का आवंटन रेस्पोंडेण्ट को अर्सा–दर्जा आवेदन प्रस्तुत करने के 36 वर्ष पूर्व हुआ है तथा उसके वह खातेदार भी बन चुका है। विवादित भूमि पर

उसकी अवस्थिति व कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विभिन्न विवाद चल रहे हैं, यह साबित तथ्य है। प्रकरण में इस न्यायालय के पास सिर्फ आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण है, जिसमें अपीलाण्ट रेस्पोंडेण्ट/उसके पूर्वज को आवंटन निरस्तीकरण इस आधार पर करवाना चाहता है कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा है।

प्रथमतया तो विधिक रूप से आवंटित भूमि पर किसी अन्य का कब्जा होने के आधार पर आवंटन निरस्तीकरण का कोई आधार नहीं होता, जब तक कि यह प्रमाणित न हो गया हो कि बवक्त आवंटन भूमि अनाधिवासित नहीं होकर उस पर काबिज व्यक्ति अधिकारिता/नियमन की पात्रता रखता हो। इस प्रकरण में कब्जे के आधार पर जो कि बवक्त आवंटन प्रमाणित नहीं है, आवंटन निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं रहता। द्वितीयतः हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट के भारसिद्ध यह तथ्य था कि आवंटन **Fourd and Misrepresention** से प्राप्त किया गया हो अथवा आवंटी पात्रता नहीं रखता हो, ऐसा कोई तथ्य अथवा साक्ष्य अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। आवंटन के 36 वर्ष बाद जबकि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके, ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त नहीं किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर